राजस्थान–सरकार

निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग

'बीमा भवन' जयसिंह हाईवे, बनीपार्क, जयपुर–302016

क्रमांकः एफ.93/पार्ट–3/कम्प/ऑनलाईन प्रोसेस/2021/2015-2060 दिनांकः 06.09.2022 06.09.2022

समस्त विभागाध्यक्ष
(सम्भागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स) सहित।
राजस्थान सरकार

विषयः–राज्य बीमा रेकार्ड बुक एवं जीपीएफ पासबुक मय पदस्थापन विवरण एसआईपीएफ पोर्टल पर अपलोड कराने के सबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार की वर्ष 2021–22 की बजट घोषणा के बिन्दु संख्या–249 द्वारा विभागीय योजनाओं में कार्य प्रकिया के अधीन स्वीकृतियों एवं भुगतान प्रकियाओं की जटिलताओं के सरलीकरण एवं ऑनलाईन करते हुये दस्तावेजों की अनिवार्यता को समाप्त किये जाने एवं डीम्ड तथा ऑटो अप्रुवल जैसे प्रावधान किये जाने की घोषणा की गई थी, जिसकी अनुपालना में विभाग द्वारा वर्तमान में सेवारत राज्य कर्मचारियों के जीपीएफ एवं बीमा रिकॉर्ड की स्कैनिंग कर एसआईपीएफ पोर्टल पर अपलोड करने, जीपीएफ योजना की प्रथम कटौती से अध्यावधि कटौतियों तथा राज्य बीमा में अब तक जारी बीमानुबन्धों को पूर्ण/सत्यापन कर एसआईपीएफ पोर्टल पर फ्रीज करने का कार्य एक अभियान के रूप में विभाग के सभी जिला कार्यालयों में दिनांक 30 सितम्बर 2022 तक चलाया जा रहा है।

उक्त अभियान में एसआईपीएफ पोर्टल पर सभी कार्मिकों के राज्य बीमा एवं जीपीएफ खातों को पूर्ण करने हेतु विभाग द्वारा राज्य बीमा रेकार्ड बुक एवं जीपीएफ पासबुक मय पदस्थापन विवरण एसआईपीएफ पोर्टल पर अपलोड कराने हेतु संबंधित आहरण वितरण अधिकारियों/कर्मचारियों को व्यक्तिशः दूरभाष, एसएमएस एवं प्रेस नोट के माध्यम से सूचित किये जाने के उपरान्त भी आशानुरूप प्रगति नहीं हुयी है, जिससे अभियान को भी गति नहीं मिल पा रही है। उल्लेखनीय है कि एसआईपीएफ पोर्टल के नवीन वर्जन में एम्प्लॉई डेशबोर्ड में **अपडेट ई–बैग** यूटिलिटी में कर्मचारी स्वयं अपनी राज्य बीमा एवं जीपीएफ की पासबुक अपलोड कर सकते है। इस कार्य में यदि किसी प्रकार की तकनीकी समस्या हो तो विभाग के जिला कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आपके अधीन समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को आपके स्तर से निर्देशित करावें कि ऐसे राज्य कर्मचारी जिनके राज्य बीमा/जीपीएफ रिकार्ड एसआईपीएफ पोर्टल पर अपूर्ण/विसंगतिपूर्ण है तथा अभी तक राज्य बीमा सत्यापित रिकार्ड बुक/जीपीएफ सत्यापित पासबुक अपलोड नहीं हुई, उन्हें दिनांक 15 सितम्बर 2022 तक संलग्न प्रारूपानुसार मय पदस्थापन विवरण एसआईपीएफ पोर्टल पर अपलोड करावें ताकि समस्त राज्य कर्मचारियों के राज्य बीमा एवं जीपीएफ खाते पूर्ण किये जा सकें। एसआईपीएफ पोर्टल पर समस्त राज्य कर्मचारियों के उपर्युक्तानुसार रिकार्ड पूर्ण होने पर ही यह विभाग पेपरलेस पैटर्न पर त्वरित एवं बेहतर सेवाएं प्रदान कर सकेगा।

संलग्नः– प्रारूप।

भवदीया

(कल्पना अग्रवाल)
निदेशक

क्रमांकः एफ.93/पार्ट–3/कम्प/ऑनलाईन प्रोसेस/2021/2051-2110 दिनांकः 06.09.2022 06.09.2022

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बीमा) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा.नि.विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. समस्त अधिकारी, राज्य बीमा एवं प्रा.नि.विभाग, मुख्यालय,जयपुर।
4. समस्त संभागीय अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग, संभाग कार्यालय........
5. संयुक्त/उप/सहा.निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा.नि.विभाग, समस्त जिला कार्यालय..............
6. एनालिस्ट कम प्रोग्रमार,मुख्यालय,जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

अतिरिक्त निदेशक,सिस्टम

परिशिष्ठ–1

राज्य कर्मचारी पदस्थान विवरण

कर्मचारी का नाम........
पिता/पति का नाम........
पद एवं विभाग..................
एम्पलॉई आईडी................
राज्य बीमा पॉलिसी संख्या..........................जीपीएफ खाता संख्या.............

क्र.सं.	पदस्थापन अवधि	पदस्थापन स्थानों का विवरण	विशेष विवरण
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

हस्ताक्षर कर्मचारी
मोबाईल नम्बर..